



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./आ.कु../एपीओ/17/1367

जयपुर दिनांक-10.4.17

—: आदेश :—

श्री आनन्द कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, सम जिला जैसलमेर को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है ।

श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियन्ता (मनरेगा) तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति पंचायती राज मुख्यालय पर देवें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शंखर मखड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय डायरी क्रमांक 2259 दिनांक 3.4.17 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय डायरी क्रमांक 3885 दिनांक 3.4.17 के संदर्भ में ।
3. जिला कलैक्टर, जैसलमेर ।
4. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सम जिला जैसलमेर ।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्री आनन्द कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, सम जिला जैसलमेर ।
8. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव